

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5605/2023

मो. साजिद बेंस, (पहले साजिद खुर्शीद बेंस के नाम से जाना जाता था) पुत्र श्री खुर्शीद अहमद बेंस, कान जी की हवेली, फ़तेहपुर शेखावाटी, फ़तेहपुर, जिला सीकर - 332301 (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर अधिकारी, वार्ड-1, आयकर कार्यालय, तोदी नगर, सांवली रोड, सीकर-332001 (राजस्थान)
2. भारत संघ, प्रधान आयकर आयुक्त, जयपुर-2, केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर-302010 (राजस्थान) के माध्यम से

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से : श्री शफी मोहम्मद चौहान, वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
प्रतिवादी(ओं) की ओर से : श्री संदीप पाठक

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी

प्रकाशनीय

आदेश

31/01/2024

न्यायालय द्वारा (माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह के अनुसार):-

1. आज यह मामला समन्वय पीठ (न्यायालय संख्या 5) के समक्ष सूचीबद्ध था और पूरक वाद सूची में दिए गए नोटिस के अनुसार, इस न्यायालय के समक्ष अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख किया गया।
2. याचिकाकर्ता के वकील ने विपक्षी वकील को सूचित किए बिना ही इस न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख किया और इस स्तर पर ही मामले का अंतिम निर्णय करने के लिए बहुत दबाव डाला।
3. कार्यवाही के दौरान, हमने विभाग के विपक्षी वकील को इस न्यायालय की सहायता के लिए बुलाया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर, हमने इस स्तर पर मामले की अंतिम सुनवाई की है।
4. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे '1961 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 148 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 30.03.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों को 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसे सीबीडीटी द्वारा जारी 29.03.2022 की अधिसूचना का पालन किए बिना जारी किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8296/2023 (कृष्ण कुमार बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य) में इस न्यायालय की मुख्य पीठ, जोधपुर स्थित समन्वय पीठ ने मामले पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।
6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने रिट याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध समय

से पहले ही दायर की गई है क्योंकि कार्यवाही अभी भी उस प्राधिकारी के समक्ष लंबित है जिसके समक्ष याचिकाकर्ता उत्तर प्रस्तुत कर सकता है और कानून के तहत उपलब्ध अपनी सभी आपत्तियां उठा सकता है।

7. हमने पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम तटीय कंटेनर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और अन्य के मामले में, (2019) 20 एससीसी 446 के पैरा-19 में रिपोर्ट किया है:-

“19. दूसरी ओर, हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकृष्णन के इस तर्क में बल पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस के चरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका पर विचार करके त्रुटि की है। यद्यपि कारण बताओ नोटिस के चरण में रिट याचिकाओं पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, फिर भी इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह स्पष्ट है कि कारण बताओ नोटिस के चरण में रिट याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है। न तो यह अधिकार क्षेत्र के अभाव का मामला है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है जिससे नोटिस के चरण में रिट याचिका पर विचार किया जा सके। उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, विशेषकर तब जब अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील इसी न्यायालय में हो। भारत संघ एवं अन्य बनाम गुवाहाटी कार्बन लिमिटेड (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है, भी उनके मामले का समर्थन करता है। उपरोक्त निर्णय में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से उत्पन्न अधिनियम-1944 में, इस

न्यायालय ने माना है कि आबकारी मामलों में निवारण प्राप्त करने के लिए आबकारी कानून एक पूर्ण संहिता है और यह माना है कि जहां कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, वहां रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं है। जब सेवा के वर्गीकरण के संबंध में गंभीर विवाद होता है, तो प्रतिवादियों को अपने रुख के समर्थन में सामग्री रखकर कारण बताओ नोटिस का जवाब देना चाहिए था, लेकिन साथ ही, कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस की सामग्री से भी कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है। इसके अलावा, मल्लाडी ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया MANU/SC/0407/2004: 2004 (166) ELT 153 (S.C.) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया है, भी उनके मामले का समर्थन करता है जहां इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसने कारण बताओ नोटिस के स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हल्दिया बनाम कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड के मामले में, (2020) 12 एससीसी 572 में पैरा-12 में रिपोर्ट किया है:

"12. इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि आबकारी कानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और सामान्यतः किसी रिट न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा और संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी होंगी जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया

गया था तो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निवारण का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत संघ एवं अन्य बनाम गुवाहाटी कार्बन लिमिटेड एम.ए.एन.यू./एस.सी./1256/2012: (2012) 11 एस.सी.सी. 651 में यह निष्कर्ष निकाला गया था; "आबकारी मामलों में निवारण प्राप्त करने के लिए आबकारी कानून एक पूर्ण संहिता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी याचिका पर विचार करना रिट न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है", जबकि मल्लाडी ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड बनाम भारत संघ एम.ए.एन.यू./एस.सी./0407/2004 में 2004 (166) ईएलटी 153 (एस.सी.), यह देखा गया:

...उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलकर्ता को सबसे पहले उस प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी चाहिए, जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यदि अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है...

...हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने मात्र कारण बताओ नोटिस के आधार पर रिट याचिका को खारिज करके बिल्कुल सही किया।

इस प्रकार यह सर्वविदित है कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने के विरुद्ध सामान्यतः रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, जब उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से याचिका पर विचार किया था, तब कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और विभाग को निर्देश दिया था कि वह प्रथम दृष्टया इस बात पर विचार करे कि क्या मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध है।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कमर्शियल इंजीनियर्स एवं बॉडी बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में, 2022/आईएनएससी/1088 के पैरा-6 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“6. इस स्तर पर, महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम ग्रेटशिप (इंडिया) लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 4956/2022, 20.09.2022 को तय) के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ देना आवश्यक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0541/2010: (2010) 8 एस.सी.सी. 110 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को ध्यान में रखने के बाद, यह देखा और माना जाता है कि कर मामले में जब अपील का एक वैधानिक उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय को अपील के वैधानिक उपाय को दरकिनार करते हुए मूल्यांकन आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने सत्यवती टंडन (सुप्रा) में पैराग्राफ 49 से 53 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया:

49. तिताघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एम.ए.एन.यू./एस.सी./0317/1983 : (1983) 2 एस.सी.सी. 433 में व्यक्त विचार सी सी ई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड एम.ए.एन.यू./एस.सी./ 0169/ 1984 : (1985) 1 एस एस सी 260 में निम्नलिखित शब्दों में प्रतिध्वनित हुए: (एस एस सी पृष्ठ 264, पैरा 3)

3. ... अनुच्छेद 226 का उद्देश्य वैधानिक प्रक्रियाओं को छोटा करना या उनसे बचना नहीं है। यह केवल तभी लागू होता है जब वैधानिक उपचार असाधारण

परिस्थितियों की माँगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हों, उदाहरण के लिए, जहाँ कानून की मूल शक्ति ही प्रश्नगत हो या जहाँ निजी या सार्वजनिक अपराध इतने अभिन्न रूप से मिश्रित हों और सार्वजनिक क्षति के निवारण तथा सार्वजनिक न्याय की पुष्टि के लिए यह आवश्यक हो कि संविधान के अनुच्छेद 226 का सहारा लिया जाए। लेकिन तब न्यायालय के पास कानून द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक उपचार को दरकिनार करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण होने चाहिए। निश्चित रूप से राजस्व से जुड़े मामले, जहाँ वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं, ऐसे मामले नहीं हैं। हम इस तथ्य का भी न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकांश याचिकाएँ केवल अंतरिम आदेश प्राप्त करने और उसके बाद किसी न किसी तरीके से कार्यवाही को लम्बा खींचने के उद्देश्य से दायर की जाती हैं। इस प्रथा को निश्चित रूप से दृढ़ता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

50. पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ.सी. कृष्णन एम.ए.एन.यू./एस.सी./0452/2001 : (2001) 6 एस एस सी 569 में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका डीआरटी अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य थी और यह टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 570, पैरा 5-6)

5. हमारी राय में, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया था, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय

ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 20 के अंतर्गत अपील योग्य था। अधिनियम में निहित वैकल्पिक उपचार के प्रावधान के मद्देनजर उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हम उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता पर विचार नहीं करना चाहते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश सही था या नहीं, इसका निर्णय किसी उपयुक्त मंच के समक्ष किया जाना है।

6. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में अपील का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है, अर्थात्, धारा 20 के अंतर्गत अपील दायर करना और इस त्वरित प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत कार्यवाही का सहारा लेकर या सिविल मुकदमा दायर करके बाधित नहीं होने दिया जा सकता, जिस पर स्पष्ट रूप से रोक है। यद्यपि किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं कर सकता, फिर भी, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो न्यायिक विवेक की माँग है कि न्यायालय उक्त संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करे। यह एक ऐसा मामला था जहाँ उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रतिवादी को अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपील तंत्र का सहारा लेने का निर्देश देना चाहिए था।

51. सीसीटी बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड
[एमएनयू/एससी/7246/2008: (2008) 3
एससीसी 688] में न्यायालय ने उड़ीसा उच्च
न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पलट
दिया, जिसमें उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के तहत
प्रतिवादी को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर
दिया गया था, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने
वैकल्पिक उपाय की समाप्ति से संबंधित बड़ी संख्या
में मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों
को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।

52. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम
दोसु आर्देशिर भिवंडीवाला
[एम.ए.एन.यू./एससी/8250/2008 : (2009) 1
SCC 168] में न्यायालय ने उन मानदंडों पर प्रकाश
डाला था जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत
उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग
करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। उस निर्णय
के पैरा 29 और 30, जिनमें इस न्यायालय के विचार
शामिल हैं, इस प्रकार हैं: (एस सी सी पृष्ठ 175-76)

29. हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 226 के
तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते
हुए उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सभी
प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे और
राज्य तथा उसके तंत्रों की ओर से उचित हलफनामों
के अभाव में भी स्वयं निर्णय ले कि क्या अभिलेख में
उपलब्ध सामग्री के आधार पर उसके हस्तक्षेप की
आवश्यकता वाला कोई मामला बनता है या नहीं।
किसी लोक विधि उपचार में परमादेश, आदेश या
निर्देश का एकपक्षीय रिट जारी करने जैसा कुछ नहीं

है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित कार्रवाई या निष्क्रियता की वैधता पर विचार करते समय न्यायालय स्वयं को राज्य की दलीलों तक सीमित नहीं मानेगा, बल्कि स्वयं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसके असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई मामला बनता है या नहीं।

30. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या:

(क) रिट याचिका के न्यायनिर्णयन में तथ्यों के कोई जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं और क्या उनका संतोषजनक समाधान किया जा सकता है;

(ख) याचिका में सभी महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं;

(ग) याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;

(घ) अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत विलंब और लापरवाही का दोषी है;

(ङ) किसी भी परिसीमा कानून द्वारा पूर्व दृष्ट्या वर्जित है;

(च) राहत प्रदान करना लोक नीति के विरुद्ध है या किसी वैध कानून द्वारा वर्जित है; और कई अन्य कारक।

न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, अपने विवेकानुसार, राज्य या उसके निकायों को, जैसा भी मामला हो, न्यायालय के विचारार्थ, सभी प्रासंगिक तथ्यों को सही

और सटीक रूप से प्रस्तुत करते हुए उचित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक हित शामिल हों। राज्य द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन करना सदैव आवश्यक होता है। किसी सार्वजनिक विधिक उपाय में केवल इस आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती कि राज्य ने रिट याचिका का विरोध करते हुए अपना प्रति-हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रवक्ताओं के खोखले और आत्म-पराजित करने वाले हलफनामे या बयान, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे सार्वजनिक विधिक उपाय में राहत देने का आधार नहीं बनते, जिसका वह कानूनन अन्यथा हकदार नहीं है।

53. राज कुमार शिवहरे बनाम प्रवर्तन निदेशालय [एम.ए.एन.यू/एससी/0249/2010 : (2010) 4 एस सी सी 772] में न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय को दरकिनार किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अधिनियम की योजना की जाँच करने के बाद, न्यायालय ने टिप्पणी की: (एस सी सी पृष्ठ 781, अनुच्छेद 31-32)

31. जब शिकायत निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, और वह भी वित्तीय कानून के तहत, तो वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करके रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में, उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न

पर अपील का एक वैधानिक मंच है। रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण मंच का सहारा लेने के लिए किसी वादी को इसका त्याग नहीं करना चाहिए और उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय, अत्यंत सम्मान के साथ, मामले के इस पहलू को न समझकर एक स्पष्ट भूल कर बैठा। हालाँकि, उसने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

3.2. अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सका कि फेमा की धारा 35 के तहत उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार एक प्रभावी उपाय क्यों प्रदान नहीं करता। वास्तव में, कोई कारण हो ही नहीं सकता क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं ही अपीलीय मंच है।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य बनाम बराक उपात्यका डी. यू. कर्मचारी संस्था के मामले में, (2009)5 एससीसी 694 में प्रतिवेदित, पैरा-10 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"10. एक मिसाल एक न्यायिक निर्णय है जिसमें एक सिद्धांत निहित होता है, जो एक आधिकारिक तत्व बनाता है जिसे अनुपात निर्णायक कहा जाता है। एक अंतरिम आदेश जो किसी मुद्दे पर अंतिम और निर्णायक रूप से निर्णय नहीं करता है, एक मिसाल नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टया निष्कर्षों वाले ऐसे गैर-अंतिम अंतरिम आदेश के समर्थन में दिए गए कोई भी कारण केवल अस्थायी हैं। ऐसे प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर जारी किए गए कोई भी अंतरिम निर्देश मामले के अंतिम रूप से निर्णय होने

तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अस्थायी व्यवस्था हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम सुनवाई से पहले मामला निष्फल या तथ्यपूर्ण न हो जाए।”

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य बनाम विको लैबोरेटरीज के मामले में, (2007) 13 एससीसी 270 के पैरा-30 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“30. सामान्यतः, रिट न्यायालय को प्राधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में, पक्षकारों को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपनी दलीलें रखने और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई मामला न होने के बारे में संबंधित प्राधिकारियों को संतुष्ट करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में पक्षकारों को शामिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण में हस्तक्षेप से बचना सामान्य नियम है। हालाँकि, उक्त नियम अपवादों से रहित नहीं है। जहाँ कारण बताओ नोटिस या तो अधिकार क्षेत्र के बाहर या विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग में जारी किया जाता है, निश्चित रूप से उस स्थिति में, रिट न्यायालय कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण में भी हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेगा। कारण बताओ नोटिस के चरण में हस्तक्षेप दुर्लभ होना चाहिए और नियमित रूप से नहीं होना चाहिए। रिट याचिकाकर्ता द्वारा केवल यह दावा करना कि नोटिस अधिकार क्षेत्र के बाहर और/या विधि प्रक्रिया के

दुरुपयोग में था, पर्याप्त नहीं होगा। यह प्रथम दृष्टया सिद्ध होना चाहिए। जहाँ तथ्यात्मक न्यायनिर्णयन आवश्यक होगा, हस्तक्षेप को खारिज कर दिया गया है।”

13. स्पष्टतः, 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस केवल एक कारण बताओ नोटिस है, जिसके लिए निस्संदेह याचिकाकर्ता के पास जवाब दाखिल करने और मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठाने का उपाय है, जहां कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर विचार करते हुए, हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है क्योंकि कार्यवाही अभी भी संबंधित मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, जहां याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से जवाब दाखिल करने और कानून के तहत उपलब्ध सभी आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता है।

14. जहां तक कृष्ण कुमार (सुप्रा) के मामले में मुख्य पीठ, जोधपुर में समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश का संबंध है, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने भरोसा किया है, उक्त आदेश एक अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया गया था, जिसने इस मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं दिया है। हमारे सुविचारित मत में, चूंकि हम याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले का अंतिम निर्णय कर रहे हैं, इसलिए समन्वय पीठ द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश, असम राज्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं है।

15. हमारा यह भी मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई कई याचिकाओं में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसमें

अंतरिम आदेश प्राप्त करने को चुनौती दी जाती है, जिससे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही लंबी खिंच जाती है और इसलिए हमारे सुविचारित मत में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने के संबंध में हस्तक्षेप दुर्लभ होना चाहिए और नियमित रूप से नहीं होना चाहिए।

16. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसके मद्देनजर, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध सभी आपत्तियों को उस कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता है जहाँ कार्यवाही चल रही है। कर निर्धारण प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कर निर्धारण पर विचार के समय ही इन पर निर्णय ले। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया गया है।

(विनोद कुमार भरवानी), जे

(इंद्रजीत सिंह), जे

साहिल सोनी/65

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी